



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225036
CG-DL-E-10022021-225036

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 550]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

का.आ. 602(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, एडीसी कार्यालय काजा (NH505) के कि.मी 0 से 151 हिमाचल प्रदेश राज्य के तक के हार्ड शोल्डर के साथ मध्यवर्ती लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH505 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एसडीओ, (सिविल)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH505 के कि.मी. 0 से 151 तक	हिमाचल प्रदेश	लाहुल एंड स्पीति	स्पीति	1 धार थाचकरपो -35
						2 धार सिटी खुद
						3 धार निमालोक्सा
						4 धार डिंडी
						5 लोसर खास
						6 चिचोंग
						7 धार लतोठनमो
						8 हंसा
						9 धार सोक्सा
						10 किअतो
						11 धार पालदार
						12 धार पांगमो
						13 धार घिऊंडी
						14 हल
						15 पांगमो खास
						16 जुग्मोथंग
						17 धार हल
						18 मार्गो रंगरिक
						19 यारगो रंगरिक
						20 खुरिक
						21 सुमलिंग
						22 मोरंग
						23 धार तुम्सेरिशा दोग्सा

[फा. सं. HP/BRO-DPK/Consultancy/NH-505]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2021

S.O. 602(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to National Highway Intermediate lane (NHIL) Specifications with hard shoulder of Km. 0 to 151 of ADC Office Kaza (NH505) in the State of HIMACHAL PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 505 in the State of HIMACHAL PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	SDO, (CIVIL)	0KM To 151KM	HIMACHAL PRADESH	LAHUL AND SPITI	Spiti	1Dhar Thachakarpoo -35
						2Dhar Siti Khad (36)
						3Dhar Nima lomsa -37
						4Dhar Dindi -39
						5Lossar Khas
						6Chichong
						7Dhar Latothanmo -43
						8Hansa
						9Dhar Soksa -45
						10Kiato
						11Dhar Phalder -48
						12Dhar Pangmo -49
						13Dhar Gyundi (50)
						14Hull
						15Pangmo Khas
						16Jugmothang
						17Dhar Hull -59
						18Margo Rangrik
						19Yargo Rangrik
						20Khurik
						21Sumling
						22Morang
						23Dhar Tumserisha Doksa (81)

[F. No. HP/BRO-DPK/Consultancy/NH-505]

RAJESH GUPTA, Director